

Letter No. 896/सा.प्र.नं. 1/जी.पी.सी.टी.ए. 1/23

Date 16/01/2023

कार्यालय-ज्ञाप

ई0पी0सी0 मोड की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1193/सीवीसी/ई-टेन्डर/2021-22, दिनांक 08.11.2021 द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी गई थी:-

"कार्यों को ससमय शीघ्रता एवं गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिये प्रदेश एवं देश स्तर पर E.P.C. (Engineering, Procurement & Construction) प्रक्रिया के माध्यम से कार्य नियोजित एवं सम्पादित कराये जा रहे देश के प्रतिष्ठित विभाग यथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (C.P.W.D.) तथा इसी प्रकार लगभग समस्त प्रदेशों में ई0पी0सी0 के आधार पर अनुबन्ध के माध्यम से कार्य सम्पादित कराने की प्रक्रिया अंगीकार की गयी है।

निगम में वर्तमान में ई0पी0सी0 आधारित निविदाओं में निविदा आमंत्रण से पूर्व तकनीकी स्वीकृति की बाध्यता के सन्दर्भ में परियोजना से सम्बन्धित Conceptual आधारित ड्राइंग आवश्यक तकनीकी मापदण्डों, संरचना की कार्यात्मक आवश्यकता एवं मूलभूत विशेषताओं पर आधारित तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

ई0पी0सी0 की उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य के सम्बन्ध में अन्वेषण, परिकल्पना, नियोजन, निर्माण गुणवत्ता व सुरक्षा, सम्पादन का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का है। ई0पी0सी0 डाक्यूमेंट के अनुरूप अनुबन्ध गठन के पश्चात् ठेकेदार उपलब्ध विकल्प के अनुसार वृहद् अन्वेषण, समुचित परीक्षण एवं तकनीकी रूप से पुष्टि उपरान्त प्रुफ कन्सलटेन्ट के माध्यम से परिकल्पित कराने के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु जी0ए0डी0 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।"

उपरोक्त आदेश को अतिश्रुति करते हुए कार्य को सुगमतापूर्वक पूर्ण कराने हेतु ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों हेतु निम्न व्यवस्था अपनाई जाये:-

ई0पी0सी0 की उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य के सम्बन्ध में अन्वेषण, परिकल्पना, नियोजन, निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा एवं सम्पादन का समस्त दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का है। ई0पी0सी0 डाक्यूमेंट के अनुरूप अनुबन्ध गठन के पश्चात् ठेकेदार उपलब्ध विकल्प के अनुसार वृहद् अन्वेषण, समुचित परीक्षण एवं तकनीकी रूप से पुष्टि उपरान्त प्रुफ कन्सलटेन्ट के माध्यम से परिकल्पित कराने के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु जी0ए0डी0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में मुख्यालय में दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2022 को ई0पी0सी0 सम्बन्धित Training/Seminar एवं "Standard EPC Agreement and request for proposal for National highway and centrally sponsored Roadworks, Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, March 2019" की booklet के Article 10.2 एवं 18.1 के अनुसार Authority Engineer/सम्बन्धित अंचल के मुख्य परियोजना प्रबन्धक/महा प्रबन्धक होंगे तथा उनके द्वारा ही डिजाइन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को Tender Documents के अनुसार अनुमोदित करते हुए सम्पादित कराया जायेगा जिससे कि ई0पी0सी0 डाक्यूमेंट्स में उल्लिखित प्रक्रिया का उल्लंघन न हो एवं अनुमोदित डिजाइन/ड्राइंग को मुख्यालय में रिकार्ड हेतु प्रेषित किया जायेगा। कार्य के दौरान साइट की स्थिति के अनुरूप स्कोप में परिवर्तन की स्थिति में उक्त से सम्बन्धित सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

1193-4028/संस्कृत/ई.पी.सी.टी.ए. 1/22-23

17/01/2023

समस्त इकाई प्रभारी (वाराणसी क्षेत्र)

वाराणसी/जौनपुर/मीरजापुर/चन्दौली

EPC Mode के Tenders में अतिश्रुति करते हुए (राजेश सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (निविदा/निक्षेप/यांत्रिक), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, (हरीद्वार/होविल)
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, नियोजन/आयोजना/परिकल्पना/वाराणसी/बरेली/कानपुर/आजमगढ़/गाजियाबाद/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/अयोध्या/लखनऊ/वाराणसी।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5. स्टाफ ऑफिसर प्र0नि0, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक